

वर्ष 2018-19 के दौरान वित्तीय बाजारों में भागीदारी को बढ़ाने, प्रतिभागियों की पहुँच को सुलभ करने और लेनदेन संबंधी मानदंडों को आसान बनाने, वित्तीय उत्पादों की श्रेणियों की संख्या बढ़ाने, वित्तीय बाजार के इन्फ्रास्ट्रक्चर में सुधार करने और बाजार की सत्यनिष्ठा को बनाए रखने हेतु कठोर निगरानी करते रहने के लिए रिजर्व बैंक ने कई उपाय किए हैं। रिजर्व बैंक ने वित्तीय प्रणाली में चलनिधि का उचित स्तर बनाए रखने के लिए चलनिधि प्रबंधन संबंधी परिचालन (विदेशी मुद्रा स्वैप नीलामियों सहित) किए तथा विदेशी मुद्रा बाजार में अत्यधिक अस्थिरता को रोकने के लिए परिचालनों के माध्यम से हस्तक्षेप भी किया है। विदेशी मुद्रा बाजार के व्यवस्थित विकास के साथ-साथ व्यापार और भुगतान को सुविधाजनक बनाने की कोशिश करते हुए विनियमों को सरल बनाने और उन्हें वर्तमान आर्थिक और व्यापारिक परिदृश्य के अनुरूप अनुकूल बनाने के प्रयास किए गए। वर्ष के दौरान बाह्य वाणिज्यिक उधार की व्यवस्था को भी तर्कसंगत बनाया गया है।

V.1 रिजर्व बैंक वर्ष के दौरान तेज़ी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था की संसाधनात्मक जरूरतों को पूरा करने हेतु वित्तीय बाजारों के विकास में जुटा रहा। वित्तीय प्रणाली में आवश्यक चलनिधि की उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा कीमत निर्धारण में संभावित अस्थिरता को कम करने के लिए प्रयास करते हुए वर्ष के दौरान बैंक ने बाजार प्रतिभागियों के लिए परिचालनगत लचीलेपन को बढ़ाने पर मुख्य रूप से ज़ोर दिया तथा बाजार गतिविधियों में उनकी भागीदारी को व्यापक बनाने का भी कार्य किया। विनियमों को कारगर बनाने तथा विनियामकीय लागत को कम करके उन्हें मौजूदा कारोबार एवं आर्थिक परिस्थितियों के अनुरूप बनाने के लिए भी प्रयास किए गए। इस दिशा में शुरू की गई मुख्य पहल में से एक है - विदेशी निवेशों की रिपोर्टिंग हेतु विदेशी निवेश रिपोर्टिंग एवं प्रबंधन प्रणाली (फर्म्स) नामक एप्लिकेशन के तहत सिंगल मास्टर फ़ॉर्म (एसएमएफ) के माध्यम से रिपोर्टिंग का कार्यान्वयन। इस दौरान बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) व्यवस्था को भी अधिक तर्कसंगत बनाया गया है।

V.2 उपर्युक्त पृष्ठभूमि के आलोक में, इस अध्याय के खंड 2 में ऊपर उल्लिखित बातों के अलावा वित्तीय बाजार विनियमन विभाग (एफएमआरडी) द्वारा वर्ष के दौरान वित्तीय बाजारों में भागीदारी बढ़ाने, वित्तीय उत्पादों की श्रेणियों को विस्तृत करने और वित्तीय बाजार के इन्फ्रास्ट्रक्चर में सुधार करने के लिए किए गए कई उपायों को शामिल किया गया है। इस अध्याय के खंड-3 में, वित्तीय बाजार परिचालन विभाग (एफएमओडी) द्वारा किए गए चलनिधि प्रबंधन और विदेशी मुद्रा बाजार के संचालन संबंधी की गई गतिविधियों का ब्योरा दिया गया है। खंड-4 में, वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा विभाग (एफईडी) द्वारा विदेशी मुद्रा

बाजार के व्यवस्थित विकास को बढ़ावा देते हुए व्यापार और भुगतान की सुविधा हेतु शुरू की गई विभिन्न पहलों को शामिल किया गया है। इन सभी विभागों ने संबंधित खंडों में वर्ष 2019-20 हेतु अपनी-अपनी कार्ययोजना भी प्रस्तुत की है।

2. वित्तीय बाजार विनियमन विभाग (एफएमआरडी)

V.3 वित्तीय बाजार विनियमन विभाग (एफएमआरडी) द्वारा मुद्रा, सरकारी प्रतिभूतियों (जी-सेक), विदेशी मुद्रा और डेरिवेटिव बाजारों के विकास, उनके विनियमन एवं निगरानी संबंधी दायित्व का निर्वाह किया जाता है। विभाग ने वर्ष 2018-19 के दौरान घरेलू और विदेशी दोनों वित्तीय बाजारों में सहभागिता को बढ़ाने, प्रतिभागियों के लिए पहुँच सुलभ करने एवं लेनदेन संबंधी मानदंडों को आसान बनाने, वित्तीय उत्पादों की शृंखला को बढ़ाने, वित्तीय बाजार के इन्फ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने तथा बाजार की सत्यनिष्ठा को बनाए रखने के लिए कठोर निगरानी जैसे कई कदम उठाए हैं।

वर्ष 2018-19 के लिए कार्ययोजना : कार्यान्वयन की स्थिति

V.4 नीलामी के जोखिम के बेहतर प्रबंधन और वितरण के जरिए कर्ज़ प्रतिभूतियाँ जारी करने संबंधी फ्रेमवर्क को मजबूत बनाने हेतु मई 2006 में सरकारी प्रतिभूतियों में 'जब जारी' (वेन इशू) बाजार का आरंभ किया गया। सरकारी प्रतिभूति बाजार को और भी सघन बनाने के उद्देश्य से, जुलाई 2018 में 'जब जारी' निदेशों को संशोधित किया गया, ताकि पात्र प्रतिभागियों के आधार को उदार बनाया जा सके। इसके साथ

ही संस्था-वार सीमाओं को भी शिथिल किया गया है, ताकि वे उचित पोजीशन ले सकें।

V.5 सरकारी प्रतिभूतियों में मंदड़िया बिक्री की शुरुआत फरवरी 2006 में की गई थी, ताकि प्रतिभागियों को ब्याज दरों के संबंध में दो-तरफा विचार करने हेतु उचित साधन मिल सकें और इसके माध्यम से वे बेहतर कीमत निर्धारण कर सकें। जुलाई 2018 में प्रतिभागियों के आधार को उदार बनाया गया तथा सरकारी प्रतिभूति एवं रिपो बाजार को और भी विकसित करने एवं उसे सघन बनाने के उद्देश्य से सरकारी प्रतिभूतियों में मंदड़िया बिक्री हेतु संस्था-वार एवं प्रतिभूति श्रेणी-वार सीमा में ढील दी गई।

V.6 विभिन्न प्रकार के संपार्श्विकों में विनियमों को सरल और सुगम बनाने के उद्देश्य से सरकारी प्रतिभूतियों एवं कॉर्पोरेट ऋण में रिपो के लिए जुलाई 2018 में विस्तृत निदेश जारी किए गए, ताकि व्यापक भागीदारी सुनिश्चित की जा सके, विशेषकर कॉर्पोरेट ऋण रिपो को प्रोत्साहित किया जा सके।

V.7 भुगतान बैंक और लघु वित्त बैंकों को मांग मुद्रा बाजार (कॉल मनी मार्केट) में उधारकर्ता और उधारदाता दोनों के रूप में भाग लेने की अनुमति दी गई, जिससे मांग मुद्रा बाजार (कॉल मनी मार्केट) में भागीदारी का आधार विस्तृत होगा और इन संस्थाओं को चलनिधि प्रबंधन हेतु एक नया आयाम प्राप्त होगा।

V.8 अनिवासियों को हेजिंग और अन्य उद्देश्यों के लिए ऑन-शोर ओवर-द-काउंटर (ओटीसी) रुपया ब्याज-दर डेरिवेटिव बाजार तक पहुंच स्थापित करने की अनुमति दी गई है, ताकि भागीदारी के आधार को व्यापक बनाते हुए एक गहरा और तरल ब्याज-दर डेरिवेटिव बाजार विकसित किया जा सके। अनिवासी व्यक्ति हेजिंग के लिए किसी भी उत्पाद में व्यापार कर सकते हैं और हेजिंग के अलावा अन्य प्रयोजनों के लिए अपनी निर्धारित विनियामक सीमा के अधीन रहते हुए ओवरनाइट इंडेक्स स्वैप (ओआईएस) बाजार में लेनदेन कर सकते हैं।

V.9 विदेशी संविभाग निवेशकों (एफपीआई) के लिए निर्धारित कॉर्पोरेट बॉण्ड पोर्टफोलियो एक्सपोजर की प्रति-कॉर्पोरेट 20 प्रतिशत की सीमा को फरवरी 2019 से समाप्त कर दिया गया है ताकि एफपीआई निवेशकों को उनके ऋण निवेश पोर्टफोलियो के प्रबंधन में अधिक लचीलापन प्रदान किया जा सके। एफपीआई द्वारा निवेश के लिए बेहतर पूर्वानुमान केन्द्रित व्यवस्था लाने के उद्देश्य से, एफपीआई सीमा को अब मध्यावधि फ्रेमवर्क

(एमटीएफ) के तहत छमाही आधार पर संशोधित किया जा रहा है, जैसा कि पहले आर्थिक समीक्षा संबंधी अध्याय के खंड-II.4 में बताया गया था। तदनुसार, मार्च 2019 में एफपीआई के लिए निवेश सीमा को संशोधित किया गया है।

V.10 विदेशी संविभाग निवेशकों को भारत में दीर्घकालिक आधार पर ऋण-निवेश को संचालित करने के लिए लिखतों के विकल्प एवं विनियामकीय सीमाओं में छूट इन दोनों के माध्यम से प्रचालनगत लचीलापन प्रदान करने के उद्देश्य से स्वैच्छिक प्रतिधारण मार्ग (वीआरआर) नामक एक अलग चैनल का प्रारम्भ किया गया है। (बॉक्स V.1)।

V.11 निवासियों और अनिवासियों द्वारा विदेशी मुद्रा जोखिम को कम करने के लिए हेज सुविधाओं पर निदेशों का मसौदा फरवरी 2019 में आम जनता की प्रतिक्रिया के लिए जारी किया गया था। इन मसौदा निदेशों में निवासियों और अनिवासियों के लिए उपलब्ध सुविधाओं को सम्मिलित करते हुए सभी उपयोगकर्ताओं के लिए एक समान एकीकृत सुविधा प्रदान करने का प्रस्ताव दिया गया था, जिसमें उन्हें किसी भी उपलब्ध साधन का उपयोग कर के अपने जोखिम को हेज करने की अनुमति शामिल है। उपयोगकर्ता अपने प्रत्याशित जोखिम को भी हेज कर सकते हैं। इसके अलावा, प्राधिकृत व्यापारियों के लिए विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव का विकल्प उपलब्ध कराने के लिए प्रक्रियाओं को सरल बनाने का भी प्रस्ताव किया गया है।

V.12 अनिवासियों को अपनी हेजिंग आवश्यकताओं के लिए घरेलू बाजारों में आने हेतु प्रोत्साहित करने और ऑनशोर हेजिंग गतिविधियों हेतु बाजार की तरलता में सुधार लाने के उद्देश्य से फरवरी 2019 में ऑफशोर रुपया बाजार के अध्ययन हेतु एक कार्यदल का गठन किया गया था। यह कार्यदल ऑफशोर रुपया बाजार के विकास हेतु आवश्यक कारणों का पता लगाएगा और घरेलू बाधाओं को दूर करने के लिए नीतिगत उपायों, यदि कोई हों, की सिफारिश करेगा।

V.13 बाजार के दुरुपयोग संबंधी विनियमों को मार्च 2019 में जारी किया गया था, जो उच्च कोटि के नैतिक मानकों के आधार पर निष्पक्ष, खुले और पारदर्शी बाजार के संस्थापन के प्रयोजन से जारी किए गए हैं, और जो इस दिशा में प्रचलित सर्वोत्तम वैश्विक प्रथाओं के अनुरूप हैं। बाजार में हेरफेर, बेंचमार्क में हेरफेर, सूचना का दुरुपयोग या इनके समान ऐसे कई अन्य तौर-तरीके इन विनियमों के दायरे में शामिल होंगे।

बॉक्स V.1

ऋण-निवेश में विदेशी संविभाग निवेश हेतु स्वैच्छिक प्रतिधारण मार्ग (वीआरआर)

भारतीय रिज़र्व बैंक दीर्घावधि स्थिर विदेशी संविभाग निवेश को प्रोत्साहित कर रहा है। इस दिशा में, दीर्घावधि दूरदर्शिता के तहत एफपीआई के लिए सामान्य निवेश सीमा से हटा कर अलग निवेश सीमाएं बनाई गई हैं। रिज़र्व बैंक ने 1 मार्च 2019 को ऋण निवेशों में एक स्वैच्छिक प्रतिधारण मार्ग (वीआरआर) शुरू किया है, जिसके तहत विदेशी संविभाग निवेशक (एफपीआई) स्वेच्छा से एक निश्चित प्रतिधारण अवधि (तीन वर्ष की न्यूनतम अवधि या रिज़र्व बैंक द्वारा तय की गई कोई अवधि) के लिए प्रतिबद्ध पोर्टफोलियो आकार (सीपीएस) में निवेश करने के लिए प्रतिबद्ध हो सकता है। इस प्रकार के निवेशक सरकारी प्रतिभूतियों में (राज्य विकास ऋण सहित) और ट्रेजरी बिल (वीआरआर-सरकार) अथवा फेमा के तहत अनुमत कॉर्पोरेट बॉण्ड लिखतों में (वीआरआर-कॉर्प) अथवा वीआरआर-सरकार और वीआरआर-कॉर्पोरेट दोनों (वीआरआर-सम्मिलित) के तहत पात्र सभी लिखतों में निवेश कर सकते हैं।

प्रतिभागी एफपीआई को इसके तहत कुछ विशेष सुविधाएं प्रदान की गई हैं, जैसे वे अपने नकदी प्रबंधन के लिए रिपो / रिवर्स रिपो लेनदेन का संचालन कर सकते हैं तथा मुद्रा / ब्याज-दर संबंधी जोखिम को हेज करने के लिए वे मुद्रा / ब्याज दर डेरिवेटिव का उपयोग कर सकते हैं। उन्हें सीपीएस के 75-100 प्रतिशत के बीच अपने निवेश को संशोधित करने की भी छूट दी गई है। इसके अलावा, वीआरआर के माध्यम से किए गए निवेश कुछ सूक्ष्म-विवेकपूर्ण उपायों, यथा: न्यूनतम अवशिष्ट परिपक्वता की आवश्यकता, निवेशों की संकेन्द्रण सीमा तथा एकल / समूह निवेशक-वार सीमा, से भी मुक्त हैं। प्रतिधारण अवधि की समाप्ति पर कोई एफपीआई

निवेशक : (ए) अपने पोर्टफोलियो का परिसमापन करते हुए बाहर निकल सकता है; अथवा (बी) वीआरआर के तहत समरूप प्रतिधारण अवधि के लिए अपना निवेश जारी रख सकता है; अथवा (सी) अपना निवेश सामान्य निवेश सीमा की श्रेणी में उपलब्ध सीमाओं के अनुरूप अंतरित कर सकता है; अथवा (डी) अपने निवेश को उसकी परिपक्वता या बिक्री की तारीख, जो भी पहले हो, तब तक उसे धारित कर सकता है। एफपीआई अपने निवेश को उसकी निश्चित प्रतिधारण अवधि पूरी होने से पूर्व भी उसे पूरी तरह अथवा आंशिक रूप में किसी अन्य एफपीआई निवेशक/ निवेशकों को समान नियम और शर्तों का पालन करने की शर्त पर बेच कर स्वयं बाहर निकल सकता है। कोई एफपीआई अपने निवेश से प्राप्त आय का अपने विवेक से उचित मार्ग चुन कर निवेश कर सकता है और ऐसे निवेश को सीपीएस की निर्धारित सीमा से अधिक मात्रा में भी अनुमति दी जाएगी।

11 मार्च 2019 से 30 अप्रैल 2019 के बीच निवेश सीमा की पहली शृंखला (वीआरआर-सरकार के लिए ₹400 बिलियन और वीआरआर-कॉर्प के लिए ₹350 बिलियन) को "ऑन टैप" आधार पर आबंटन के लिए उपलब्ध कराया गया था। उपर्युक्त शृंखला में वीआरआर-कॉर्प के तहत एफपीआई को ₹203.93 बिलियन की राशि आबंटित की गई। दिनांक 27 मई 2019 को निवेश सीमाओं की दूसरी शृंखला (वीआरआर-सम्मिलित के लिए ₹546.06 बिलियन) खोली गई है और यह 31 दिसंबर 2019 तक अथवा निर्धारित आबंटन सीमा समाप्त होने तक, जो भी पहले हो, तब तक खुली रहेगी।

V.14 रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित वित्तीय बाजार लिखतों संबंधी ईटीपी के अनुमोदन हेतु फ्रेमवर्क बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म (ईटीपी) संबंधी दिशा-निर्देश हाल ही में जारी किए गए हैं, जिसका उद्देश्य पारदर्शिता में सुधार करना, लेन-देन के समय और लागत को कम करना, कुशल लेखापरीक्षा की सुविधा प्रदान करना, जोखिम नियंत्रण प्रणाली में सुधार और बाजार की निगरानी को कारगर बनाना है। इसमें व्यापक पात्रता मानदंड, प्रौद्योगिकीय आवश्यकताएं और रिपोर्टिंग मानक भी शामिल हैं। इस नए फ्रेमवर्क के अंतर्गत सभी नए ईटीपी सहित मौजूदा ईटीपी को रिज़र्व बैंक से अधिप्रमाणित कराना आवश्यक है।

V.15 रुपया ब्याज-दर डेरिवेटिव, विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव एवं क्रेडिट डेरिवेटिव के लिए ओवर द काउंटर (ओटीसी) बाजारों में गैर-व्यक्ति प्रतिभागियों के लिए जून 2017 में विधिक संस्था पहचानकर्ता (एलईआई) प्रणाली लागू की गई थी। नवंबर 2018 से उक्त विधिक संस्था पहचानकर्ता (एलईआई) प्रणाली

को अनिवासी संस्थाओं सहित गैर-व्यक्ति प्रतिभागियों द्वारा मुद्रा बाजार, सरकारी प्रतिभूति बाजार एवं विदेशी मुद्रा बाजार, जिनका विनियमन रिज़र्व बैंक द्वारा किया जाता है, में किए जाने वाले लेनदेनों पर भी लागू किया गया है। इस प्रणाली के सुचारु क्रियान्वयन हेतु एक चरणबद्ध दृष्टिकोण अपनाया गया है, जिसमें ₹2000 मिलियन से अधिक की निवल मालियत (नेटवर्थ) वाली संस्थाओं को 31 दिसंबर 2019 से पूर्व एलईआई प्राप्त करना होगा, इससे कम निवल मालियत वाली संस्थाओं को 31 मार्च 2020 तक समयावधि प्रदान की गई है।

V.16 रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित बाजारों में बेंचमार्क प्रक्रियाओं के संचालन को कारगर बनाने के उद्देश्य से बैंक ने फरवरी 2019 में वित्तीय बेंचमार्क प्रशासकों पर मसौदा निदेश जारी किए थे, जिन्हें आम जनता की टिप्पणियों हेतु सार्वजनिक किया गया था। उक्त मसौदा निदेश रिज़र्व बैंक द्वारा फरवरी 2014 में गठित वित्तीय बेंचमार्क समिति (अध्यक्ष: श्री पी. विजय भास्कर) की रिपोर्ट पर आधारित थे

और इन निदेशों में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रचलित सर्वोत्तम प्रथाओं; जैसे - प्रतिभूति आयोगों के अंतरराष्ट्रीय संगठन (आईओएससीओ) द्वारा निर्धारित वित्तीय बेंचमार्क सिद्धांतों सहित अन्य क्षेत्रों में प्रचलित विधियों / विनियमावलियों से भी प्रेरणा ली गई है।

वर्ष 2019-20 हेतु कार्ययोजना

V.17 अंतरराष्ट्रीय केंद्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार (आईसीएसडी) द्वारा केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों के अंतरराष्ट्रीय स्तर पर समाधान (सेटलमेंट) को कार्यान्वित किया जाएगा, ताकि आईसीएसडी के अनिवासी ग्राहक केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों का ऑफशोर लेनदेन करने में सक्षम हो सकें। अनिवासियों को केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों में लेनदेन करने के लिए इससे एक नया आयाम खुलेगा।

V.18 विभिन्न बाजारों के प्रचालन समय की व्यापक समीक्षा करने और आवश्यक भुगतान इन्फ्रास्ट्रक्चर तथा बाजार के समय में संशोधन हेतु सुझाव देने के लिए अगस्त 2018 में एक आंतरिक समूह का गठन किया गया था। इस समूह की सिफारिशों के आधार पर, बाजार में विभिन्न उत्पादों के बीच कारोबारी समय में संशोधन एवं बाजारों के निधियन हेतु आवश्यक कदम उठाए जाएंगे, ताकि किसी भी प्रकार के टकराव से बचा जा सके।

V.19 यह विभाग मुद्रा बाजार, सरकारी प्रतिभूति बाजार, विदेशी मुद्रा बाजार और विशेष रूप से ब्याज-दर तथा मुद्रा-डेरिवेटिव बाजारों को विकसित करने और उन्हें अधिक व्यापक बनाने के अपने प्रयास को जारी रखेगा, ताकि बैंकों व बाजार के अन्य प्रतिभागियों द्वारा बेहतर जोखिम प्रबंधन को बढ़ावा दिया जा सके। बाजार में प्रतिभागियों की संख्या बढ़ाने, नए उत्पादों को शामिल करने और प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए भी विभाग द्वारा आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। वित्तीय बाजारों की सत्यनिष्ठा सुनिश्चित करना और बाजार के दुरुपयोग को खत्म करना भी इस विभाग की प्राथमिकता होगी।

V.20 विभाग ने अपनी निगरानी क्षमताओं के परिवर्धन हेतु सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित समन्वित बाजार निगरानी प्रणाली (आईएमएसएस) विकसित करने की प्रक्रिया आरंभ कर दी है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित बाजारों की निगरानी करना, रुझानों का विश्लेषण करना तथा अनुपालन का नियंत्रण करना इस प्रस्तावित प्रणाली के व्यापक लक्ष्य हैं।

3. वित्तीय बाजार परिचालन विभाग (एफएमओडी)

V.21 वित्तीय बाजार परिचालन विभाग को मुख्यतः दो दायित्व सौंपे गए हैं; जिनमें प्रथम है - वित्तीय प्रणाली में चलनिधि का उपयुक्त स्तर बनाए रखने के लिए चलनिधि प्रबंधन को संचालित करना; और दूसरा- स्पोर्ट, वायदा और फ्यूचर्स क्षेत्र में परिचालनों के माध्यम से विदेशी मुद्रा बाजार में स्वच्छ माहौल सुनिश्चित करना।

वर्ष 2018-19 की कार्ययोजना- कार्यान्वयन की स्थिति

मुद्रा बाजार और चलनिधि प्रबंधन

V.22 वर्ष के दौरान प्रणालीगत चलनिधि अधिशेष से निकल कर घाटे में बदल गई, क्योंकि विमुद्रीकरण के कारण आई अधिकता का प्रभाव कम हो गया। बड़े पैमाने पर पूंजी के बहिर्वाह के कारण जिससे संचलनगत मुद्रा के ऊर्ध्व-प्रवृत्ति विस्तार के साथ चलनिधि की स्थिति पर दबाव बढ़ा, विशेष रूप से वर्ष की पहली छमाही के दौरान। रिजर्व बैंक ने अल्पकालिक चलनिधि असंतुलन का प्रबंध करने के लिए चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) का संचालन किया। इसके परिणामस्वरूप, मांग मुद्रा बाजार में भारित औसत मांग दर (डबल्यूएसीआर) - मौद्रिक नीति के परिचालनगत लक्ष्य के, मोटे तौर पर नीतिगत रिपो दर के दायरे में रही।

V.23 चलनिधि के टिकाऊ प्रबंधन के संबंध में, रिजर्व बैंक ने स्थायी चलनिधि परिचालन की गति को ठीक कर के उसे बाजार की स्थितियों के साथ अनुकूल बनाया। प्रणाली की चलनिधि जरूरतों को पूरा करने के लिए वर्ष 2018-19 की दूसरी छमाही के दौरान खुले बाजार के परिचालन (ओएमओ) की बारंबारता और मात्रा में वृद्धि की गई। वर्ष 2018-19 के दौरान, रिजर्व बैंक ने ₹3.0 ट्रिलियन तक की ओएमओ खरीद संबंधी नीलामियां की, जिसमें से सिर्फ दूसरी छमाही (एच 2) में ही ₹2.5 ट्रिलियन मूल्य की ओएमओ खरीद की गई।

V.24 रिजर्व बैंक ने टिकाऊ चलनिधि प्रबंधन के एक साधन के रूप में विदेशी मुद्रा स्वैप नीलामी को जोड़कर अपने चलनिधि प्रबंधन के साधनों को बढ़ाने का फैसला किया (बॉक्स V.2)। दिनांक 26 मार्च 2019 को इस प्रकार के प्रथम खरीद / बिक्री स्वैप की नीलामी की गई और रिजर्व बैंक ने तीन वर्षों की अवधि हेतु सिस्टम में ₹345.6 बिलियन का अंतर्वेशन किया। इस

बॉक्स V.2

यूएसडी / आईएनआर खरीद/बिक्री स्वैप:

भारतीय रिजर्व बैंक के चलनिधि प्रबंधन साधनों में एक नया उपाय

विदेशी मुद्रा स्वैप (एफएक्स स्वैप) में किन्हीं दो पक्षों के बीच किसी एक मुद्रा का किसी दूसरी मुद्रा में, दोनों पक्षों द्वारा सहमत तारीख, कीमत और अवधि के लिए किए जाने योग्य विनिमय शामिल है, जिसमें इन दोनों मुद्राओं की परिपक्वता तिथि पर पुनर्विनिमय किया जाता है। विदेशी मुद्रा स्वैप को वैश्विक विदेशी मुद्रा बाजार में सबसे लोकप्रिय ओवर-द-काउंटर विदेशी मुद्रा लिखत माना जाता है। इन विदेशी मुद्रा स्वैप्स में किसी एक मुद्रा के रूप में अमेरिकी डॉलर का हिस्सा लगभग 91 प्रतिशत रहा।¹

विनिमय दर जोखिम का उन्मूलन विदेशी मुद्रा स्वैप के लोकप्रिय होने का एक प्रमुख कारण है, क्योंकि करार के समय प्रारंभिक तथा अंतिम (टर्मिनल) विनिमय दरों पर सहमति हो जाती है। विदेशी मुद्रा स्वैप आम तौर पर बैंकों / वित्तीय संस्थानों और उनके ग्राहकों (बहुराष्ट्रीय कंपनियों), संस्थागत निवेशकों द्वारा उपयोग किया जाता है, जो अपनी विदेशी मुद्रा पोजीशन को हेज करना चाहते हैं, और / अथवा विदेशी मुद्रा की अटकलबाजी में शामिल होते हैं।


केंद्रीय बैंकों द्वारा विदेशी मुद्रा स्वैप का प्रयोग

उन्नत और उभरती हुई दोनों अर्थव्यवस्थाओं में केंद्रीय बैंकों ने अलग-अलग परिस्थितियों में विदेशी मुद्रा स्वैप का उपयोग किया है। स्विस् नेशनल बैंक ने अपने आरक्षित निधि प्रबंधन के लिए इसे मुख्य साधन के रूप में इस्तेमाल किया है, जिसका मुख्य कारण अल्पावधि सरकारी प्रतिभूतियों की कमी है। मोनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर (एमएएस) भी उधार लेने / उधार देने तथा सिंगापुर गवर्नमेंट सिक्वोरिटीज (एसजीएस) और एमएएस बिलों पर रिपो लगाने के अतिरिक्त अपने चलनिधि प्रबंधन हेतु विदेशी मुद्रा स्वैप का प्रभावी ढंग से उपयोग करती है। सेंट्रल बैंक ऑफ रशियन फेडरेशन ने रूस के क्रेडिट संस्थानों को डॉलर में चलनिधि सहायता प्रदान करने के लिए सितंबर 2014 में यूएसडी/ आरयूबी की खरीद/ बिक्री हेतु विदेशी मुद्रा स्वैप की शुरुआत की थी। सऊदी अरब ने क्षेत्रीय संकट के दौरान आपातकालीन चलनिधि प्रदान करने हेतु विदेशी मुद्रा स्वैप का उपयोग किया है, जबकि दक्षिण अफ्रीका भी समय-समय पर बैंकों के साथ विशेष मुद्रा स्वैप संचालित करता है। बहरीन ने भी विशेष परिस्थितियों में चलनिधि बनाए रखने के लिए अमेरिकी डॉलर स्वैप सुविधा का उपयोग किया है। ऐसे अन्य

देश जिन्होंने चलनिधि प्रबंधन हेतु विदेशी मुद्रा स्वैप का उपयोग किया है, उनमें नीदरलैंड, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, बेल्जियम, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, मलेशिया और थाईलैंड शामिल हैं।

रिजर्व बैंक ने 26 मार्च 2019 और 23 अप्रैल 2019 को प्राधिकृत व्यापारी (एडी) श्रेणी-1 बैंकों² के साथ यूएसडी/ आईएनआर की खरीद / बिक्री के दो स्वैप आयोजित किए, जिनमें से प्रत्येक की अधिसूचित राशि 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर थी और उन्हें 3 वर्षों की अवधि हेतु जारी किया गया था। दो नीलामियों में प्राप्त बोलियाँ, क्रमशः यूएसडी 16.3 बिलियन और यूएसडी 18.7 बिलियन थी, जो उक्त स्वैप की अधिसूचित राशि, अर्थात्- यूएसडी 5 बिलियन से तीन गुना से भी अधिक है। रिजर्व बैंक ने क्रमशः ₹7.76 और ₹8.38 बिलियन के कट-ऑफ प्रीमियम के साथ प्रत्येक नीलामी में 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक की बोलियों को स्वीकार किया और बैंकिंग प्रणाली में क्रमशः ₹345.6 बिलियन और ₹348.7 बिलियन का अंतर्वेशन किया। स्वैप नीलामी के माध्यम से अमेरिकी डॉलर के रूप में जुटाई गई राशि उक्त स्वैप के कार्यकाल की अवधि तक रिजर्व बैंक के विदेशी मुद्रा भंडार संबंधी आंकड़ों में दिखाई गई है, इसके साथ-साथ वह रिजर्व बैंक की वायदा देनदारियों में भी परिलक्षित होती है।

स्वैप की घोषणा के बाद आईएनआर माईफोर³ वक्र 3 वर्षीय बकेट में अलग अलग अवधियों के बीच अधिकतम नरमी के साथ निचले स्तर पर बना रहा (चार्ट 1: पैनल-ए)। पहली नीलामी के समय दीर्घकालिक




(जारी...)

¹ "निवल-निवल आधार पर" अप्रैल-2016 में विदेशी मुद्रा स्वैप का दैनिक औसत टर्नओवर 2.4 ट्रिलियन यूएसडी रहा।

² प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-1 ऐसे बैंक हैं, जिन्हें विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 की धारा 10(1) के तहत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमत सभी चालू तथा पूंजी-खाते से संबंधित लेनदेन संचालित करने हेतु प्राधिकृत किया गया है।

³ मुंबई अंतर-बैंक प्रस्तावित वायदा दर (माईफोर) एक अंतर-बैंक बेंचमार्क है, जिसमें 02 घटक, नामतः: डॉलर में उधार लेने की दर एवं संबंधित अवधि हेतु अमेरिकी डॉलर (यूएसडी)/भारतीय रुपया (आईएनआर) वायदा प्रीमियम, शामिल हैं।

गैर-वितरण योग्य वायदा (एनडीएफ) दरों तथा दो नीलामी तिथियों के आसपास कैश-टॉम दरों में कुछ अस्थिरता देखी गई थी (चार्ट 1: पैनल बी)।



संदर्भ:

1. बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स (2016), त्रिवाषिक सर्वेक्षण, अप्रैल 2016, https://www.bis.org/statistics/d11_1.pdf पर उपलब्ध
2. सेंट्रल बैंक ऑफ रशियन फेडरेशन – फोरेक्स स्वैप www.cbr.ru/eng/hd_base/swapinfo/swapinfosellusdvol/.
3. होयमैन, सी. (1994), 'द यूज ऑफ फ़ोरेन एक्सचेंज स्वैप्स बाई सेंट्रल बैंक्स', स्टाफ पेपर्स (अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष), 41 (1), पीपी. 149-162.
4. मोनेटरी ऑथोरिटी ऑफ सिंगापुर – मोनेटरी पॉलिसी ऑफ इकोनॉमिक्स <http://www.mas.gov.sg/Monetary-Policy-and-Economics/Central-Bank-Operations-and-Liquidity-Management.aspx>.
5. स्विस् नेशनल बैंक - फाइनेंशियल मार्केट www.snb.ch/en/ifor/finmkt/operat/id/qas_swaps_1#.

नीलामी का मुद्रा बाजार की दरों पर मंद प्रभाव पड़ा और बैंकिंग प्रणाली को वर्ष के अंत में जो निधियों की आवश्यकता थी, उसके लिए यह पूरक साबित हुआ।

विदेशी मुद्रा बाजार

V.25 वर्ष के दौरान, मुख्य रूप से कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों, अमेरिका में ब्याज दरों में वृद्धि और अंतरराष्ट्रीय व्यापार तथा भू-राजनीतिक मामलों के कारण अक्टूबर माह के मध्य तक रुपये में सामान्य गिरावट का रुख देखा गया। तथापि, तेल की कीमतों में गिरावट आने के बाद आगे चल कर रुपये की स्थिति में सुधार हुआ और शेष वर्ष के दौरान रुपए में बढ़ोत्तरी का रुख रहा। रिजर्व बैंक ने ऑनशोर / ऑफशोर ओवर द काउंटर (ओटीसी) और एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी डेरिवेटिव (ईटीसीडी) खंडों में परिचालन के माध्यम से विदेशी मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप करते हुए अत्यधिक अस्थिरता को रोकने के लिए कदम उठाए।

वर्ष 2019-20 के लिए कार्ययोजना

V.26 मौद्रिक नीति के रुख के अनुरूप प्रभावी ढंग से चलनिधि प्रबंधन का कार्य करना इस विभाग का प्रमुख लक्ष्य है। विभाग नयी उभरती हुई चलनिधि स्थितियों की बारीकी से निगरानी करना जारी रखेगा और नीतिगत रिपो दर के साथ भारित औसत माँग दर (डबल्यूएसीआर) के संरेखण को सुनिश्चित करने के लिए वह अपने परिचालनों को संशोधित करेगा। इसके अलावा, विनिमय दरों में अनुचित अस्थिरता को रोकने के लिए विभाग

द्वारा विदेशी मुद्रा परिचालनों का प्रभावी तरीके से उपयोग किया जाएगा। यह भी प्रस्ताव है कि विभाग वित्तीय बाजारों पर नीति-उन्मुख अनुसंधान कार्य जारी रखेगा।

V.27 घरेलू विदेशी मुद्रा बाजार में 'एफ एक्स ग्लोबल कोड' के सिद्धांतों को अपनाए जाने के प्रति रिजर्व बैंक की प्रतिबद्धता के हिस्से के रूप में भारत के लिए 'पब्लिक रजिस्टर' की शुरुआत करने हेतु विभाग द्वारा भारतीय विदेशी-मुद्रा समिति (आईएफएक्ससी) के साथ समन्वय का कार्य किया जाएगा। यह 'पब्लिक रजिस्टर' सूचना भंडार की तरह कार्य करेगा, जिससे बाजार के प्रतिभागियों को अपने 'एफ एक्स ग्लोबल कोड' के प्रतिबद्धता-विवरणों के प्रकाशन की सुविधा मिलेगी और यह सभी इच्छुक पार्टियों को बाजार के उन प्रतिभागियों की पहचान करने में भी मदद करेगा, जिन्होंने पहले ही ऐसा कर दिया है।

4. विदेशी मुद्रा विभाग (एफईडी)

V.28 विदेशी मुद्रा विभाग (एफईडी) द्वारा कारोबारी सुगमता को बढ़ावा देने हेतु व्यापार और भुगतान को सुविधाजनक बनाने का प्रयास किया जा रहा है। वर्ष 2018-19 के दौरान विभाग ने वर्तमान व्यापार और आर्थिक परिदृश्य के अनुरूप विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा) के परिचालनगत फ्रेमवर्क को सुव्यवस्थित बनाने का प्रयास जारी रखा है। विभाग द्वारा कारोबारी सुगमता को बेहतर बनाने और विनियामकीय लागत को कम करने के लिए भी कई कदम उठाए गए हैं। विदेशी निवेश रिपोर्टिंग एवं प्रबंधन प्रणाली (फर्म्स) में सिंगल मास्टर फॉर्म (एसएमएफ) के

तहत विदेशी निवेशों की रिपोर्टिंग की शुरुआत इस दिशा में एक उल्लेखनीय प्रगति है। वर्ष के दौरान बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) की व्यवस्था को भी अधिक तर्कसंगत बनाया गया है।

वर्ष 2018-19 की कार्ययोजना: कार्यान्वयन की स्थिति

V.29 पिछले वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट में, अपने मिशन के तहत एफईडी ने कुछ महत्वपूर्ण उद्देश्यों पर कार्रवाई शुरू की थी। इन उद्देश्यों में मुख्यतः भारत में कारोबार हेतु सुलभ परिवेश उपलब्ध कराने के अलावा बहिर्गामी विप्रेषणों को सुविधा प्रदान करते हुए विदेशी निवेशों के अंतर्वाह संबंधी सूचना प्रबंधन को कारगर बनाना तथा सीमा-पार से उधार लेने एवं उधार देने संबंधी विनियमों को तर्कसंगत बनाना शामिल है।

सीमा-पार से उधार लेने एवं उधार देने संबंधी व्यवस्था को सरल बनाना

V.30 निवासियों और अनिवासियों के बीच उधार लेने और उधार देने से संबंधित विनियमों को सरल बनाने और उन्हें समेकित करने के उद्देश्य से दिनांक 17 दिसंबर 2018 को एक नया सॉफ्ट-कोड निर्देश लागू किया गया। इसकी मुख्य विशेषताएं हैं: (ए) फेमा 3, 4 और फेमा-120 के एक हिस्से (विनियमन 21) के तहत विनियमों को समेकित करते हुए सभी कर्ज लिखतों को एक ही अधिसूचना के अंतर्गत लाना; (बी) लेन-देन संबंधी तीन अनुसूचियों की रूपरेखा बनाना, जिसमें: ईसीबी; व्यापार ऋण;

और बाह्य वाणिज्यिक उधार शामिल हैं; और (सी) विनियमों को सिद्धांत-आधारित बनाना, जिससे निरंतर संशोधनों की आवश्यकता समाप्त हो।

V.31 ईसीबी से शुरू किया जाए, तो बकाया स्टॉक के लिए, भारत सरकार के परामर्श से, एक नियम-आधारित गतिशील सीमा को अपनाया गया है, जो सकल घरेलू उत्पाद के 6.5 प्रतिशत (वर्ष 2018-19 के लिए 160 बिलियन यूएसडी) है। कारोबारी परिवेश को सुगम बनाने के लिए ईसीबी तथा रुपये में मूल्यवर्गीकृत बॉण्ड (आरडीबी) के फ्रेमवर्क को तर्कसंगत बनाया गया है (बॉक्स V.3)। इसके अलावा, रिपोर्टिंग के बोझ को कम करने के उद्देश्य से ईसीबी की रिपोर्टिंग को अधिक सरल बनाया गया है। सही समय पर रिपोर्टिंग को प्रोत्साहित करने के लिए देरी से की जाने वाली रिपोर्टिंग पर दंड स्वरूप विलंब-शुल्क लगाने की भी शुरुआत की गयी है।

विदेशी निवेश सूचना प्रबंधन

V.32 विदेशी निवेश की विभिन्न सीमाओं की निगरानी के लिए 2 जून 2018 को भारतीय रिजर्व बैंक ने सेबी के साथ परामर्श करते हुए, एक नयी निगरानी प्रणाली शुरू की है, ताकि सूचीबद्ध भारतीय कंपनियों को विदेशी निवेश संबंधी विभिन्न सीमाओं का पालन करने में सक्षम बनाया जा सके। इस निगरानी प्रणाली का परिचालन करने के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर और प्रणालियों को सेबी द्वारा तैयार किया गया है। तदनुसार, निक्षेपागारों (एनएसडीएल और सीडीएसएल) ने सूचीबद्ध भारतीय कंपनियों में एनआरआई

बॉक्स V.3

बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) नीति संबंधी नया फ्रेमवर्क

16 जनवरी 2019 को घोषित नए ईसीबी फ्रेमवर्क की मुख्य विशेषताएं नीचे दी गई हैं:

- **लिखत निरपेक्ष उधार व्यवस्था:** उधार की दो तरफा रूपरेखा बनाई गई, यथा: एक विदेशी मुद्रा में उधार व्यवस्था और दूसरी भारतीय रूप में उधार (आईएनआर-ईसीबी) व्यवस्था (आईएनआर ईसीबी ट्रेक तथा आरडीबी)।
- **भारतीय रूपयों (आईएनआर) में मूल्यवर्गीकृत ईसीबी का उदारीकरण:** ईसीबी की देयता-इक्विटी संबंधी अनुपात की अप्रयोज्यता: विदेशों में जारी किए गए रूपयों में मूल्यवर्गीकृत बॉण्ड (आरडीबी) पर टैक्स को रोके रखने को कम करना।
- **पात्र ईसीबी उधारकर्ताओं का विस्तार:** सभी भागधारकों को समान अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ईसीबी जुटाने संबंधी क्षेत्रीय प्राथमिकताओं को हटा दिया गया है। एफडीआई जुटाने के लिए पात्र सभी संस्थाओं को अब ईसीबी जुटाने की भी अनुमति दी गई है।

- **विदेशी ऋणदाताओं का विस्तार:** वित्तीय कार्रवाई कार्यबल (एफएटीएफ) अथवा प्रतिभूति आयोगों के अंतरराष्ट्रीय संगठन (आईओएससीओ) के अनुपालक देशों की सभी संस्थाओं को शामिल करना; धन-शोधन निवारण तथा आतंकवाद वित्तपोषण का मुकाबला करने (एएमएल / सीएफटी) संबंधी ढांचे को मजबूत बनाना।
- **सभी ईसीबी के लिए सामान्य न्यूनतम औसत परिपक्वता:** पूर्ववर्ती ईसीबी व्यवस्था में प्रचलित विभिन्न स्लैबों को मिलाकर सभी ईसीबी के लिए न्यूनतम तीन वर्षों का एक एकल स्लैब निर्धारित किया गया।
- **तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) के लिए ईसीबी:** कार्यशील पूंजी के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए तथा कॉर्पोरेट दीवलियापन समाधान प्रक्रिया के तहत समाधान आवेदकों के लिए।

/ एफपीआई द्वारा निवेश की समग्र सीमा अथवा क्षेत्र-विशेष के लिए निर्धारित सीमाओं (सेक्टरल कैप) के भीतर उपलब्ध निवेश संभावनाओं पर सूचना के प्रसार के लिए आवश्यक इन्फ्रास्ट्रक्चर और आईटी प्रणाली स्थापित की है। यह प्रणाली किसी कंपनी के लिए निर्धारित की गई कुल एनआरआई / एफपीआई निवेश-सीमा अथवा सेक्टरल कैप का उल्लंघन होने पर एफपीआई/ एनआरआई द्वारा आगे की खरीद को प्रतिबंधित कर देगी। अतिरिक्त होल्डिंग के मामले में एनआरआई / एफपीआई द्वारा अनिवार्य विनिवेश के प्रावधान को भी लागू किया गया है।

V.33 दिनांक 01 सितंबर 2018 से एक नई ऑनलाइन रिपोर्टिंग प्रणाली - विदेशी निवेश रिपोर्टिंग एवं प्रबंधन प्रणाली (फर्म्स) लागू की गई है। इस प्रणाली के माध्यम से एक ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर विभिन्न प्रकार की नौ विवरणियाँ (अर्थात्, एफसी-जीपीआर, एफसी-टीआरएस, एसोप, डीआई, डीआरआर, एलएलपी-I, एलएलपी-II, सीएन तथा इनवी) सिंगल मास्टर फॉर्म (एसएमएफ) के माध्यम से प्रस्तुत करने की सुविधा प्रदान की गई है।

V.34 इसके अलावा, 1 सितंबर 2018 से पूंजीगत लिखतों के निर्गम के लिए एफडीआई रिपोर्टिंग को एक स्तरीय रिपोर्टिंग (पहले की द्विस्तरीय रिपोर्टिंग के स्थान पर) के तहत सिंगल मास्टर फॉर्म (एसएमएफ) में बदल दिया गया है। इस एप्लिकेशन में एक इनबिल्ट डेटाबेस है, जिससे मानवीय हस्तक्षेप कम हुआ है और इससे एंटीटी मास्टर के रूप में एक अनूठी अवधारणा को शामिल करने में मदद मिली है, जिससे किसी भी समय किसी संस्था में किए जाने वाले कुल विदेशी निवेश के लिए लागू क्षेत्रीय सीमाओं के संदर्भ में की जाने वाली निगरानी में भी मदद मिलती है।

वैकल्पिक निवेश निधियों (एआईएफ) द्वारा विदेश में निवेश

V.35 सेबी की सिफारिशों पर, वैकल्पिक निवेश निधियों (एआईएफ) / जोखिम पूंजी निधियों (वीसीएफ) द्वारा विदेश में निवेश की समग्र सीमा को दिनांक 2 जून 2018 से 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़ा कर 750 मिलियन अमेरिकी डॉलर किया गया है। सेबी ने वैकल्पिक निवेश निधियों (एआईएफ) के समग्र बकाया अनुमोदनों की निगरानी हेतु एक उपयुक्त रिपोर्टिंग एवं निपटान प्रणाली लागू की है, जिसके साथ सेबी ने उन्हें रिपोर्टिंग दिशा-निर्देशों के संबंध में भी अनुदेश जारी किए हैं। विदेश में किए जाने वाले ऐसे निवेशों से संबंधित निर्धारित सीमाओं की निगरानी हेतु रिजर्व बैंक और सेबी के बीच एक नियमित सूचना साझेदारी तंत्र भी स्थापित किया गया है।

विदेशी मुद्रा विनिमय के उदारीकरण संबंधी अन्य उपाय

V.36 उदारीकृत विप्रेषण योजना (एलआरएस) के तहत विदेश में शिक्षा के प्रयोजनार्थ गैर-बैंकिंग संस्थाओं द्वारा (भारत में प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी- I बैंकों के माध्यम से) किए जाने वाले छोटे मूल्य के लेनदेन (प्रति लेनदेन 5000 अमेरिकी डॉलर से अनधिक) संबंधी जावक विप्रेषणों की सीमा को अब प्रति लेनदेन 10000 अमेरिकी डॉलर तक बढ़ा दिया गया है, जो 2,50,000 अमेरिकी डॉलर प्रतिवर्ष की समग्र सीमा के भीतर होगा।

V.37 केरल में आई भीषण बाढ़ को देखते हुए तथा प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों से इस संबंध में प्राप्त अभ्यावेदनों को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष- केरल में एक्सचेंज हाउस के माध्यम से निधियाँ प्राप्त करने के लिए अनुमति दे दी गई है; बशर्ते कि इस तरह के विप्रेषण उन बैंकों द्वारा किए जाए, जो धन-प्रेषकों के पूरे ब्योरे रखते हों और उन्हें सीधे उस निधि में क्रेडिट किया जाए।

V.38 ₹1000 और ₹500 के मौजूदा करेंसी नोटों के विमुद्रीकरण के पश्चात, नेपाल अथवा भूटान में ले जाने के लिए अनुमत मुद्राओं की स्थिति की समीक्षा की गई। अब, भारत से नेपाल या भूटान की यात्रा करने वाले व्यक्ति को रिजर्व बैंक द्वारा जारी महात्मा गांधी (नई) श्रृंखला के करेंसी नोटों में से ₹200 और / अथवा ₹500 मूल्यवर्ग के नोट ले जाने की अनुमति है, जोकि कुल ₹25,000 की समग्र सीमा के अधीन है। ₹100 तक के मूल्यवर्ग में किसी भी राशि तक भारत सरकार और रिजर्व बैंक द्वारा जारी करेंसी नोट ले जाने संबंधी निर्देश पूर्ववत बने रहेंगे।

V.39 दिनांक 28 मार्च 2019 से उन संस्थाओं को भारत में अपने शाखा कार्यालय (बीओ) / संपर्क कार्यालय (एलओ) परियोजना कार्यालय (पीओ) अथवा किसी अन्य कारोबारी स्थल की स्थापना के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्वानुमोदन की आवश्यकता नहीं है, जिन आवेदकों का प्रमुख कारोबार रक्षा, दूर-संचार, निजी-सुरक्षा तथा सूचना और प्रसारण के क्षेत्र से जुड़ा है; और जिन्हें इस प्रकार के कार्यालयों की स्थापना हेतु भारत सरकार द्वारा अनुमोदन दिया गया है अथवा संबंधित मंत्रालय / विनियामक संस्था द्वारा उन्हें ऐसे कार्यालय खोलने के लिए पूर्व में ही लाइसेन्स / अनुमति दी गई है।

V.40 रक्षा क्षेत्र से संबंधित परियोजना कार्यालय खोलने संबंधी प्रस्तावों के मामले में, यदि उस आवेदक को रक्षा मंत्रालय अथवा सर्विस हैडक्वार्टर्स अथवा रक्षा क्षेत्र से जुड़े सार्वजनिक क्षेत्र के

उपक्रमों द्वारा पूर्व में ही कोई संविदा दी गयी हो / अथवा इस संबंध में कोई करार किया गया हो, तो ऐसे मामलों को भारत सरकार को संदर्भित करने अथवा उससे अलग से कोई अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी।

V.41 सेबी में पंजीकृत विदेशी संविभाग निवेशकों / विदेशी जोखिम पूंजी निवेशकों (एफपीआई/एफवीसीआई) को विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2017 के अनुसरण में निवेश के प्रयोजन से ब्याज-रहित विदेशी मुद्रा खाता खोलने और रखने की अनुमति दी गई है।

V.42 बांग्लादेश अथवा पाकिस्तान के ऐसे नागरिक, जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा दीर्घावधि वीजा (एलटीवी) दिया गया है, वे भारत में किसी प्राधिकृत व्यापारी बैंक में अपना अनिवासी साधारण खाता (एनआरओ) खोल सकते हैं, यह सुविधा कुछ शर्तों के साथ उन व्यक्तियों को भी होगी जिन्होंने दीर्घावधि वीजा (एलटीवी) के लिए आवेदन किया है और उनका आवेदन केंद्र सरकार के विचाराधीन है।

V.43 भारत के बाहर के निवासी व्यक्तियों द्वारा खोले गए विशेष अनिवासी रुपया (एसएनआरआर) खाते, जिनमें सेबी में पंजीकृत निवेशकों द्वारा भारत में निवेश के प्रयोजन से खोले गए खाते भी शामिल हैं, को दिनांक 28 मार्च 2019 से भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन से सात वर्षों की निर्धारित अवधि के बाद भी परिचालन में रखा जा सकता है।

V.44 दिनांक 28 मार्च 2019 से निवासियों और अनिवासियों द्वारा पूंजीगत लिखतों/ परिवर्तनीय नोटों के अधिग्रहण / अंतरण हेतु एस्कॉ खाते खोले जा सकते हैं तथा उन्हें गारंटी(यों) के द्वारा भी वित्तपोषित किया जा सकता है।

वर्ष 2019-20 के लिए कार्ययोजना

V.45 वर्ष 2019-20 के लिए विभाग की रणनीति उभरती हुई परिस्थितियों के साथ फेमा के परिचालनात्मक फ्रेमवर्क को निरंतर समकालीन बनाने पर जोर देते हुए इन सभी प्रयासों को समेकित करने और उन्हें आगे ले जाने पर ध्यान केंद्रित करेगी, जिसमें मुख्यतः मुद्रा परिवर्तन संबंधी क्रियाकलापों एवं व्यापारिक गतिविधियों को तर्कसंगत बनाना, विनियमित संस्थाओं की व्यापक समीक्षा एवं उनकी रिपोर्टिंग संबंधी जरूरतों का सरलीकरण तथा लेनदेन संबंधी लागत को कम करने हेतु

प्राधिकृत व्यक्तियों (एपी) की भूमिका का विस्तार करना आदि बातें शामिल हैं। इस रणनीति के अनुसरण में विशिष्ट कार्रवाई बिंदु नीचे दिए गए हैं :-

- सम्पूर्ण मुद्रा परिवर्तक (एफएफएमसी) के रूप में लाइसेंस प्राप्त करने हेतु कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप प्रवेश मानदंडों की समीक्षा करना और उन्हें तर्कसंगत बनाना, जिसमें एफएफएमसी/ अपग्रेड किए गए एफएफएमसी (एडी श्रेणी-II) की लाइसेंसिंग, नवीकरण, निरीक्षण, रिपोर्टिंग और निरसन हेतु एक ऑनलाइन पैकेज विकसित करना शामिल है।
- केवल वास्तविक लेनदेनों को ही अनुमत किए जाने पर मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित करते हुए गारंटियों के निर्गम संबंधी मामलों से निपटने के लिए फेमा का समेकन करना एवं उसे तर्कसंगत बनाना तथा एक सुसंगत और एकीकृत जावक प्रत्यक्ष निवेश नीति बनाना।
- बाह्य वाणिज्यिक उधार और व्यापार ऋणों की रिपोर्टिंग तथा अनुमोदन हेतु सॉफ्टवेयर प्लैटफॉर्म (स्पेक्ट्रा) को कार्यान्वित किया जाएगा, जिसमें किसी आवेदन के प्राप्त होने से लेकर उस पर लिए गए अंतिम निर्णय के सम्प्रेषण तक उस मामले में हुई किसी भी प्रगति संबंधी विवरण शामिल होगा तथा उसमें लेनदेनों की रिपोर्टिंग की जा सकेगी।
- व्यापारिक कारोबार लेनदेन (एमटीटी) से संबंधित दिशा-निर्देशों को तर्कसंगत बनाना और निर्यात डेटा प्रसंस्करण एवं निगरानी प्रणाली (ईडीपीएमएस)/ आयात डेटा प्रसंस्करण एवं निगरानी प्रणाली (आईडीपीएमएस) में एमटीटी की रिपोर्ट करने का प्रावधान करना और आयात खंड में सारख-पत्र (एलसी) जारी करने संबंधी दिशा-निर्देश जारी करना।
- विभिन्न हितधारकों (सरकार सहित) की विविध जरूरतों को ध्यान में रखते हुए, रिपोर्टिंग आवश्यकताओं की व्यापक समीक्षा की जाएगी।
- आईटी पैकेजों में संशोधनों के माध्यम से एक मानकीकृत फ्रेमवर्क के तहत उपयोगकर्ताओं के लिए लेनदेन की लागत को कम करने और प्राधिकृत व्यक्तियों (एपी) के स्तर पर उनके क्षमता निर्माण के लिए प्राधिकृत व्यक्तियों (एपी) को और अधिक शक्तियों का प्रत्यायोजन करना।
- फेमा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विस्तृत फ्रेमवर्क तैयार करना एवं जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन करना और इसके लिए निरंतर डिजिटल सामग्री तैयार करते रहना।